राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2435/2025

नटवर सिंह मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, श्रम उद्योग एवं बॉयलर्स विभाग, जयपुर।
2. श्रम आयुक्त, जयपुर, श्रम भवन शांति नगर, खातीपुरा रोड़ हसनपुरा, जयपुर।
3. श्रम कल्याण अधिकारी, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक (निलम्बित) के पद पर श्रम कल्याण अधिकारी, बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.06.2020 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर श्रम कल्याण अधिकारी, बूंदी के कार्यालय में की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.05.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को कॉल लेटर में फर्जी फोटो, आधार नम्बर एडिटिंग करने के आरोप में पुलिस थाना कानोता जयपुर (पूर्व) में दर्ज प्रकरण संख्या 0527/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी में दिनांक 14.06.2023 में नाम दर्ज आरोपी को धारा 420, 120बी आईपीसी में दिनांक 01.05.2024 को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2024 को अपीलार्थी को जमानत प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.05.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को 48 घण्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 01.05.2024 से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर किया गया। उनका कथन है कि अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ (2015) 7 एससीसी 291 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के विपरीत है, जहां यह माना गया है कि निलंबन अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि आसाधारण परिस्थितियों द्वारा उचित न हो। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एस.बी.सिविल विधिक अपील संख्या 3664/2025 दायर की। जिसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.03.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपील का निपटारा कर दिया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना ही निलंबन के लिए कोई कारण या आधार नहीं बताया गया, न ही निलंबन लागू होने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल कोई भी आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। निलंबन आदेश, दंडात्मक प्रकृति का होने के कारण, बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के पारित किया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। अपीलार्थी के निलंबन को लगभग 9 महिने से अधिक का समय हो चुका है। निलंबन केवल प्राथमिकी में दर्ज आरोपों पर आधारित है और अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अपीलार्थी को दौषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाए केवल आरोपों के आधार पर निलंबन मनमाना एवं अनुचित है। आरोपों की पुष्टि के लिए कोई स्वंतत्र जांच नहीं की गई है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निलंबित किया गया है जो कि अपीलार्थी को निलंबित करने का अधिकार नहीं रखता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.05.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर नियुक्त कर सेवा में शामिल होने की अनुमति दे।

3. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी 01.05.2024 को 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में था और ऐसा कर्मचारी जो 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहा है, उसे निलंबित माना जाता है। पुलिस स्टेशन कनोता, जयपुर पूर्व में दिनांक

14.06.2023 को एफआईआर संख्या 0527/2023 दर्ज की गई थी और जाँच अधिकारी ने मामले की जाँच की और तदनुसार अपीलार्थी को दिनांक 01.05.2024 को न्यायिक हिरासत में रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2024 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की गई थी, लेकिन अपीलार्थी को अभी तक निर्दोष घोषित नहीं किया गया है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 07.05.2024 के आदेश के तहत नियमानुसार निलंबित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक (निलम्बित) के पद पर श्रम कल्याण अधिकारी, बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कॉल लेटर में फर्जी फोटो, आधार नम्बर एडिटिंग करने के आरोप में पुलिस थाना कानोता जयपुर (पूर्व) में दर्ज प्रकरण संख्या 0527/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी में दिनांक 14.06.2023 में नाम दर्ज आरोपी को धारा 420, 120बी आईपीसी में दिनांक 01.05.2024 को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2024 को अपीलार्थी को जमानत प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा अपीलार्थी को 48 घण्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 01.05.2024 से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 22.03.2023 जारी किया गया है, जो आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में है। उपरोक्त परिपत्र में दिशा–निर्देश क्रमांक बी–1 निम्न प्रकार से हैं :–

> ''बी–1 जघन्य (Heinous) व गंभीर (Grievous) अपराध यथा हत्या, बलात्कार दहेज मृत्यु, मानव तस्करी, भ्रूण हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग एवं नैतिक अधमता (Moral turpitude) इत्यादि आपराधिक प्रकरणों में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टों से अधिक समय तक

पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो ऐसे लोक सेवक को तत्काल निलम्बित किया जावे।

लोक सेवकों के ऐसे प्रकरणों में यदि सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, तो उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण को पुनरावलोकन समिति के समक्ष अपीलार्थी के निलम्बन आदेश दिनांक 07.05.2024 (अनुलग्नक–1) के संबंध में विचारार्थ रखा जाये एवं पुनरावलोकन समिति नियमानुसार उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की रोशनी में अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करेगी।
7. उक्त कार्यवाही दो माह की समयावधि में सम्पादित करना सुनिश्चित किया जावे। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य